प्रेस नोट दिनांक 23.08.2026

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा विद्यालय में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण, चोरी की गयी सैमसंग एलईडी टीवी बरामद, 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा विद्यालय में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों, रवि पटेल, नितिन पटेल एवं संदीप पटेल (26 वर्ष) गिरफ्तार, चोरी की गई सैमसंग कम्पनी की एलईडी टीवी बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-
प्रार्थी निवासी ग्राम डाड़ी, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़, संस्कार एजुकेशनल एकेडमी डाड़ी के प्रबन्धक हैं। वादी द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.08.2026 को प्रतिदिन की भांति विद्यालय में पठन-पाठन कार्य समाप्त होने के उपरान्त विद्यालय में ताला बंद कर वह अपने घर चले गए थे। दिनांक 23.08.2026 को प्रातः लगभग 09:00 बजे प्रार्थी विद्यालय में साफ-सफाई हेतु पहुंचे तो देखा कि विद्यालय में लगी सैमसंग कम्पनी की एलईडी टीवी गायब थी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मान्धाता पर मु0अ0स0 107/26 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात चोर को अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी मान्धाता श्री धनन्जय राय के नेतृत्व में थाना मान्धाता के उ0नि0 दूधनाथ पाल मय हमराह उ0नि0 अरबिन्द कुशवाहा, का0 पंकज कुमार, रि0का0 प्रवीण कुमार निगम, रि0का0 उजाला सिंह, रि0का0 अमित द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 107/26 धारा 305 बीएनएस थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 03 वांछित अभियुक्तों, 01. रवि पटेल पुत्र हरिलाल पटेल निवासी डाड़ी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष, 02. नितिन पटेल पुत्र रामचन्द्र पटेल निवासी डाडी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र 21 वर्ष, 03. संदीप पटेल पुत्र प्रदीप पटेल निवासी ग्राम सराय मेहदीराय थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की निशानदेही पर 01 अदद एल0ई0डी टी0वी0 समसैंग कम्पनी को बरामद किया गया है, थाना स्थानीय पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त नितिन पटेल ने पूछताछ में बताया कि बरामद टी0वी मैने व प्रिन्स उर्फ छोटू उर्फ भोला ने रवि पटेल पुत्र हरिलाल पटेल निवासी ग्राम डाडी के कहने पर कल रात को चुराकर रवि पटेल दिया है जो शादी विवाह मे विडियोग्राफी व टीवी लगाने का काम करता है अभि0 रवि पटेल से जब चोरी की टी0वी के बारे में पूछताछ की गयी तो बताया कि आज सुबह ही मैने टीवी को अपने वाहन से संदीप पटेल पुत्र प्रदीप पटेल व मोहित पटेल पुत्र पन्नालाल पटेल निवासीगण सराय मेहदीराय थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को छुपाकर रखने के लिए दिया है यदि आप कहे तो चलकर मै टी0वी संदीप पटेल व मोहित पटेल के यहा से बरामद करा दूंगा। अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अदद एल0ई0डी टी0वी0 समसैंग कम्पनी बरामद की गई।

अभियुक्तों का विवरण-

1. रवि पटेल पुत्र हरिलाल पटेल निवासी डाड़ी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष।
2. नितिन पटेल पुत्र रामचन्द्र पटेल निवासी डाडी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र 21 वर्ष।
3. संदीप पटेल पुत्र प्रदीप पटेल निवासी ग्राम सराय मेहदीराय थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र 26 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 दूधनाथ पाल मय हमराह उ0नि0 अरबिन्द कुशवाहा, का0 पंकज कुमार, रि0का0 प्रवीण कुमार निगम, रि0का0 उजाला सिंह, रि0का0 अमित थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा बकरी चोरी की घटना का सफल अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का जीवित बकरा, ₹7,200/- नकद एवं घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज पुलिस द्वारा बकरी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों अनीश वर्मा उर्फ कल्लू, मोहन कोरी एवं रवि गौतम को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे/निशानदेही से 01 अदद चोरी का जीवित बकरा, ₹7,200/- नकद (चोरी की बकरियों को बेचकर प्राप्त धनराशि) तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 अदद सफेद अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.08.2026 को वादी निवासी ग्राम महिमापुर सराय रायजू, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना लालगंज पर तहरीर दी गई कि समय करीब 11:00 बजे दिन वह महिमापुर मोड़ के पास बकरी

चरा रहे थे। इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति उनकी एक बकरी चोरी कर ले गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 327/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

उक्त घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना लालगंज पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग एवं तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 23/24.08.2026 की रात्रि को पुलिस टीम द्वारा जैनपुर नहर पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी का बकरा लेकर 03 व्यक्ति अपाचे मोटरसाइकिल से सरयू इण्टर कॉलेज के पास नहर रोड किनारे स्थित काली माता मंदिर के पास खड़े हैं तथा कहीं भागने की फिराक में हैं।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस को आता देखकर तीनों व्यक्ति बकरे सहित भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल एवं हिकमत-अमली से मौके पर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान अनीश वर्मा उर्फ कल्लू, मोहन कोरी एवं रवि गौतम के रूप में हुई।

मौके पर बरामद बकरे की पहचान हेतु वादी को सूचना देकर बुलाया गया। वादी द्वारा बरामद बकरे को देखते ही पहचान कर बताया गया कि यही उसका चोरी गया बकरा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से क्रमशः प्राप्त कुल ₹7,200/- नकद तथा घटना में प्रयुक्त सफेद अपाचे मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP72 AR2192 को पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्तगण से पृथक-पृथक पूछताछ करने पर अभियुक्त अनीश वर्मा उर्फ कल्लू, मोहन कोरी एवं रवि गौतम द्वारा बताया गया कि वे तीनों आपस में मिलकर बकरी चोरी करते हैं तथा चोरी की गई बकरियों को अलग-अलग स्थानों पर कम कीमत में बेचकर प्राप्त धनराशि को आपस में बांट लेते हैं।
अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.08.2026 की रात्रि में ग्राम सराय जगत सिंह में पवन वर्मा के घर से तीनों ने मिलकर कुल 09 बकरियां (बकरी-बकरा) चोरी की थीं। उक्त घटना के दौरान अभियुक्त अनीश वर्मा का मोबाइल फोन मौके पर गिर गया था। चोरी की गई बकरियों को बाद में बेचकर प्राप्त धनराशि को तीनों ने आपस में बांट लिया तथा अधिकांश धनराशि खर्च कर दी, जबकि उनके पास बची ₹7,200/- की धनराशि उसी चोरी की बकरियों को बेचने से प्राप्त होना बताया गया।

अभियुक्तगण ने यह भी बताया कि दिनांक 23.08.2026 को करीब 11:00 बजे दिन तीनों ने मिलकर महिमापुर मोड़, सराय रायजू से एक बकरा चोरी किया था, जिसे बेचने के उद्देश्य से अपाचे मोटरसाइकिल से लेकर जा रहे थे। काली माता मंदिर के पास नहर रोड पर सुनसान स्थान देखकर वे बकरा बेचने के संबंध में आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी पुलिस टीम को आता देखकर भागने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर तीनों को बकरे सहित पकड़ लिया गया। बरामद अपाचे

मोटरसाइकिल के संबंध में अभियुक्त रवि गौतम द्वारा बताया गया कि उक्त मोटरसाइकिल उसी की है तथा तीनों इसी मोटरसाइकिल का प्रयोग बकरी चोरी की घटनाओं में करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अनीश वर्मा उर्फ कल्लू पुत्र त्रिभुवन वर्मा, निवासी ग्राम नयापुरवा, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

2. मोहन कोरी पुत्र स्व0 अलगू, निवासी ग्राम केशवपुर, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष।

3. रवि गौतम पुत्र स्व0 सुखई, निवासी ग्राम केशवपुर, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद जीवित बकरा (चोरी का)।

₹7,200/- नकद, चोरी की बकरियों को बेचकर प्राप्त धनराशि।

01 अदद सफेद अपाचे मोटरसाइकिल, रजि0 नं0 UP72 AR2192, चोरी की घटना में प्रयुक्त।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 327/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। पूछताछ में दिनांक 22.08.2026 को ग्राम सराय जगत सिंह से 09 बकरियों की चोरी की घटना भी प्रकाश में आई है, जिसके संबंध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 323/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। उक्त अभियोग में भी अभियुक्तों के नाम प्रकाश में लाकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास .अनीश वर्मा उर्फ कल्लू पुत्र त्रिभुवन वर्मा, निवासी ग्राम नयापुरवा, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

1. मु0अ0सं0- 90/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उदयपुर प्रतापगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 327/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 भुवाल सिंह यादव व उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह का0 आशीष गुप्ता, रि0का0 नीरज यादव, रि0का0 आकाश यादव, का0 विवेक यादव, का0 विकास सिंह, पीआरडी ललित कुमार तथा सरकारी वाहन चालक हो0गा0 चन्दभान, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 अवधराज यादव मय हमराह का0 अजीत चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारण्टी के दौरान मा0 न्यायालय विद्युत अधिनियम विशेष न्यायालय प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू मु0नं0 24/2017, धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम, थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त हरिशंकर यादव पुत्र स्व0 राम अछैवर उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम दाउदपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. हरिशंकर यादव पुत्र स्व0 राम अछैवर उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम दाउदपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अवधराज यादव मय हमराह का0 अजीत चौहान, थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू पुलिस द्वारा दहेज हत्या से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना अन्तू पुलिस द्वारा दहेज हत्या से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त पंकज पाण्डेय को क्षेत्रान्तर्गत रेलवे क्रॉसिंग अंतू पश्चिमी फाटक के पास से गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी निवासी ग्राम व पोस्ट त्रिसुण्डी, थाना रामगंज, जनपद अमेठी द्वारा बताया गया कि उसकी बहन का विवाह दिनांक 26.11.2020 को पंकज पाण्डेय पुत्र अशोक पाण्डेय निवासी ग्राम मवइया कला, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ के साथ हुआ था। विवाह के समय ससुराल पक्ष द्वारा ₹5,00,000/- नकद एवं अल्टो कार की मांग की गई थी, जिसकी मांग पूरी न होने के कारण विवाह के बाद से ही पति पंकज पाण्डेय, सास शोभा देवी तथा देवर नीरज पाण्डेय एवं सौरभ पाण्डेय द्वारा दीक्षा देवी को दहेज के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था तथा समय-समय पर अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती थी। दिनांक 09.08.2026 को परिजनों को सूचना मिली कि दीक्षा की तबीयत खराब है तथा उसे अस्पताल ले जाया गया है, बाद में परिजनों को विभिन्न स्थानों पर गुमराह किया गया और पुलिस के हस्तक्षेप पर उसकी लाश बरामद हुई। वादी का आरोप है कि उपरोक्त आरोपियों द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने के कारण आपस में मिलकर षड्यंत्रपूर्वक वादी की बहन की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से

शव को छिपाने/गायब करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंतू पर मु0अ0सं0 211/26 अंतर्गत धारा 85/80 (2)/61(2)/238 BNS. व धारा 3/4 डीपी एक्ट बनाम 04 नामजद व 02 व्यक्ति का अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी अंतू श्री अभिषेक कुमार सिरोही के नेतृत्व में थाना अंतू के उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह का0 जयन्त कुशवाहा द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 211/26 अंतर्गत धारा 85/80 (2)/61(2)/238 BNS. व धारा 3/4 डीपी एक्ट थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त पंकज पाण्डेय पुत्र अशोक पाण्डेय निवासी ग्राम मवैयाकला थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत रेलवे क्रॉसिंग अंतू पश्चिमी फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. पंकज पाण्डेय पुत्र अशोक पाण्डेय निवासी ग्राम मवैयाकला थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह का0 जयन्त कुशवाहा थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा छिनैती की घटना का 24 घंटे के अन्दर सफल अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार; छिनैती का मोबाइल, ₹1,550 नकद एवं अन्य सामान बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों के कब्जे से वादिनी से छिनैती किया गया 01 अदद वनप्लस कम्पनी का मोबाइल फोन, ₹1,550/- नकद, 01 अदद आधार कार्ड, 01 अदद लेडीज पर्स, 01 अदद चाबी तथा घटना में प्रयुक्त हीरो होण्डा स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल संख्या UP72 CF 4081 बरामद की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.08.2026 को वादिनी निबा कौसर पत्नी मोहम्मद अनवर निवासी काछी पट्टी, कस्बा व थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि वह अपने मायके कुण्डा से ई-रिक्शा द्वारा मानिकपुर स्थित अपने घर वापस आ रही थी। तिवारी के पास पीछे से काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा झपट्टा मारकर उसका लेडीज पर्स छीन लिया गया, जिसमें वनप्लस कम्पनी का मोबाइल फोन, लगभग ₹1,500-1,600 नकद, आधार कार्ड एवं घर की चाबी आदि सामान था। उक्त तहरीर के आधार पर थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 217/2026 धारा 304(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 24.08.2026 को उ0नि0 अमरनाथ सिंह मय हमराह उ0नि0 अमित कुमार सिंह, का0 भीमराव, का0 राजेश पाल एवं का0 प्रवीण कुमार द्वारा क्षेत्र में देखभाल, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर ममौली नहर पुलिया, बहद ग्राम ममौली के पास घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सवार तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान 1. मोनू कुमार पटेल, 2. राजेश कुमार पटेल एवं 3. मुकेश कुमार निवासीगण ग्राम ममौली, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई।

बरामदगी का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद वनप्लस कम्पनी का मोबाइल फोन, ₹1,550/- नकद, 01 अदद आधार कार्ड, 01 अदद लेडीज पर्स, 01 अदद चाबी तथा घटना में प्रयुक्त 01 अदद हीरो होण्डा स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल संख्या UP72 CF 4081 बरामद की गई। बरामद मोबाइल फोन का IMEI नम्बर चेक कर वादिनी द्वारा प्रस्तुत इनवाइस से मिलान किया गया, जो सही पाया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। मोटरसाइकिल के वैध कागजात प्रस्तुत न किए जाने पर उसे धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पृथक-पृथक पूछताछ करने पर तीनों अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 23.08.2026 की शाम करीब 20:30 बजे उन्होंने कुण्डा की तरफ से ई-रिक्शा से आ रही महिला का मोटरसाइकिल से पीछा किया। सुनसान स्थान देखकर तीनों ने पर्स छीनने की योजना बनाई। इसके बाद मोटरसाइकिल चला रहे मोनू कुमार पटेल, बीच में बैठे मुकेश कुमार तथा पीछे बैठे राजेश कुमार पटेल द्वारा तिवारीपुर के पास महिला का पर्स झपट्टा मारकर छीन लिया गया। पर्स को लेकर तीनों सुनसान स्थान पर गए, जहां पर्स की तलाशी लेने पर उसमें ₹1,550/- नकद, वनप्लस कम्पनी का मोबाइल फोन, आधार कार्ड, चाबी एवं अन्य सामान मिला। अभियुक्तों ने ₹1,550/- को आपस में बांट लिया तथा मोबाइल फोन का सिम निकालकर फेंक दिया। अभियुक्तों द्वारा पुलिस से बचने के उद्देश्य से पर्स एवं आधार कार्ड को बाद में गंगा नदी में फेंकने की योजना बनाए जाने की बात भी बताई गई। अभियुक्तों के कब्जे से बरामद सामान की वादिनी द्वारा मौके पर पहचान कर अपने सामान के रूप में पुष्टि की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1-मोनू कुमार पटेल पुत्र स्व0 सन्तलाल पटेल, निवासी ग्राम ममौली, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष।
2-राजेश कुमार पटेल पुत्र शंकरलाल पटेल, निवासी ग्राम ममौली, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।
3-मुकेश कुमार पुत्र शंकर लाल, निवासी ग्राम ममौली, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अमरनाथ सिंह, उ0नि0 अमित कुमार सिंह, का0 भीमराव, का0 राजेश पाल एवं का0 प्रवीण कुमार, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमले के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार; घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार एवं आलाजुर्म लाठी/डंडा बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, दिनांक 21.08.2026 को उसके भांजे मो0 सादाब के साथ थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत रखहा-खीरीवीर मार्ग पर ग्राम गनईडीह के पास कार सवार व्यक्तियों द्वारा ओवरटेक कर जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि अभियुक्तगण द्वारा फायरिंग करने के साथ मो0 सादाब के साथ मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 189/2026 धारा 352, 115(2), 351(3), 131, 110 एवं 3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री विजयकान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में दिनांक 24.08.2026 को उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक मय हमराह उ0नि0 आशीष कुमार, रि0का0 शिवम सिंह एवं का0 जगदीश प्रसाद द्वारा वांछित अभियुक्तों की तलाश एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना दिलीपपुर के मु0अ0सं0 189/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 131, 3(5), 109(1), 126(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त शाहरूख पुत्र मोबीन निवासी ग्राम शिवगढ़, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ को खव्वहटपुर से दिलीपपुर की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से स्विफ्ट कार के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त शाहरूख से पूछताछ करने पर उसने बताया कि दिनांक 21.08.2026 को नवाब अली उर्फ फुल्लन के कहने पर वह अपनी स्विफ्ट कार से ग्राम यहियापुर गया, जहां साहिल, अरबाज एवं एक अन्य व्यक्ति मिले। इसके बाद नवाब अली उर्फ फुल्लन भी उनके साथ हो गया। अभियुक्त के अनुसार, जमीन संबंधी विवाद के कारण नवाब अली उर्फ फुल्लन द्वारा मो0 सादाब को रास्ते में रोककर मारने की योजना बनाई गई थी। सभी लोग कार से मो0 सादाब का पीछा करते हुए रखहा-खीरीवीर मार्ग पर गनईडीह के पास पहुंचे, जहां मो0 सादाब की मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर रोका गया। नवाब अली उर्फ फुल्लन के ललकारने पर साहिल द्वारा मो0 सादाब पर फायर किया गया, जिसके बाद सभी अभियुक्तों द्वारा उसे लाठी-डंडे से मारपीट की गई। राहगीरों की भीड़ एकत्रित होने पर सभी लोग स्विफ्ट कार से मौके से फरार हो गए। अभियुक्त ने यह भी बताया कि घटना के बाद वह गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रतापगढ़ से बाहर भागने की फिराक में था।

अभियुक्त की निशानदेही/कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाल रंग की स्विफ्ट कार की तलाशी लेने पर उसकी डिग्गी से 01 अदद लाठी/डंडा बरामद हुआ। अभियुक्त द्वारा उक्त लाठी/डंडे का प्रयोग घटना में मो0 सादाब के साथ मारपीट करने में किया जाना बताया गया। घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को भी कब्जा पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-शाहरूख पुत्र मोबीन, निवासी ग्राम शिवगढ़, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-
01 अदद लाल रंग की स्विफ्ट कार।
01 अदद आलाजुर्म लाठी/डंडा।

पुलिस टीम-
उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक मय हमराह उ0नि0 आशीष कुमार, रि0का0 शिवम सिंह एवं का0 जगदीश प्रसाद, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा "हत्या का प्रयास" के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त नकुल द्विवेदी गिरफ्तार, अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा "हत्या का प्रयास" की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसकी

निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

प्रतापगढ़।

दिनांक 23.08.2026 को वादी निवासी ग्राम वीरसिंहपुर (जंगल), थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ के घर पर आरोपीगण व अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाली-गलौज करते हुए वादी एवं उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देने लगे। विरोध करने पर आरोपियों द्वारा वादी के पिता के साथ भी गाली-गलौज की गई। शोर सुनकर वादी के बाहर आने पर वादी द्वारा के ललकारने पर आरोपीगण द्वारा अवैध असलहे से वादी को जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसमें गोली वादी के कान के बगल से निकल गई। आसपास के लोगों के मौके पर पहुंचने पर आरोपीगण हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। इस संबंध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 328/2026 धारा 3(5)/288/109(1)/352/351(3) बीएनएस व 9/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम 02 नामजद व 04 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह हे0का0 जाहिद हुसैन, का0 नितीश यादव, का0 श्रीचन्द्र व का0 अतीक खान द्वारा मु0अ0सं0 328/2026 धारा 3(5)/288/109(1)/352/351(3) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 9/25/27 आर्म्स एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त नकुल द्विवेदी पुत्र सुरेश द्विवेदी निवासी ग्राम गोबिन्दपुर पूरे अनिरुद्ध थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 9/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नकुल द्विवेदी पुत्र सुरेश द्विवेदी, निवासी ग्राम गोबिन्दपुर पूरे अनिरुद्ध, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी-

01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह हे0का0 जाहिद हुसैन, का0 नितीश यादव, का0 श्रीचन्द्र व का0 अतीक खान, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 03 अदद देशी सुतली बम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह थाना नवाबगंज के नेतृत्व में व0उ0नि0 राजनारायण सिंह मय हमराह उ0नि0 अकील अहमद, रि0का0 रितेश कुमार, रि0का0 रंजीत यादव एवं चालक हे0का0 इन्द्रजीत सिंह द्वारा क्षेत्र में देखभाल, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की तलाश के दौरान अभियुक्त ज्ञानचन्द उर्फ बचानू पुत्र फेरु सरोज निवासी ग्राम मुरस्सापुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 33 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 03 अदद देशी सुतली बम बरामद हुए।

बरामदगी एवं विधिक कार्यवाही-
बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 135/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-ज्ञानचन्द उर्फ बचानू पुत्र फेरु सरोज, निवासी ग्राम मुरस्सापुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 33 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-
1- 03 अदद देशी सुतली बम।

पुलिस टीम-
व0उ0नि0 राजनारायण सिंह, उ0नि0 अकील अहमद, रि0का0 रितेश कुमार, रि0का0 रंजीत यादव एवं चालक हे0का0 इन्द्रजीत सिंह, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।